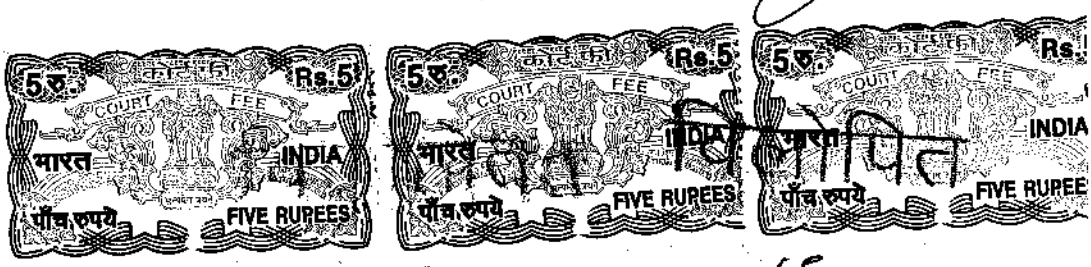

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(29)

निग० 1659-II-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. / 2015/निगरानी

जिला विदिशा

श्री ओ० पी० शर्मा एड. द्वारा आज दि. 23-6-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आमिर खा पुत्र श्री उमर खा

नि0 ग्राम बनवा, तहसील बासोदा

जिला विदिशा -- प्रार्थी

बनाम

म0प्र0शासन - प्रतिप्रार्थी

O.P. Sharma Adv. 23-6-15

निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बासोदा आदेश दिनांक 9-6-15 पारित प्र.क्र. 57/अपील/14-15 अन्तर्गत धारा 50 भू.रा. संहिता ।

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओरसे निगरानी प्रार्थनापत्र निम्न आधारो पर प्रस्तुतहै-

1- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश रिकार्ड एवं साक्ष्य के विपरीत मन मानाहोने के कारण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयश्रीमान एस.डी ओ. ने अपील ग्राह्य करके स्थगन देने मे प्रकरण की परिस्थितियो पर एवं वि वत आदेश न देने के कारण पारित कियागया आदेश अमान्य किये जाने योग्य है।

2- यहकि, प्रार्थी के पूर्वजो का विवादित भूमिपर दिनांक 2-10-59 के पूर्व से पट्टे पर दीगयी उसके संबंध मे, प्रार्थी के द्वारा पट्टा आदि कागजात व जुर्मा की रसीदे भी प्रस्तुत की वर्तमान मे प्रार्थी विवादित भूमिपर कृषि कर रहा और विधि के प्रभाव से उसके पूर्वजो को भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत होगये थे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1659–एक/15 जिला –विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
7.4.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक ष्षासन की ओर से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव पैनल अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बासौदा जिला विदिषा के प्रकरण कमांक 57/अपील/14–15 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 9.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में वही तथ्य दोहराये है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उल्लेख किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी वासोदा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा तहसीलदार वासोदा के आलोच्य आदेष के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर धारा 52 का आवेदन प्रस्तुत कर स्थगन की मांग की गई जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त धारा–52 का आवेदन अस्वीकार कर दिनांक 9.6.15 को निरस्त किया गया है। उसी आवेदन के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है कि आवेदक के पूर्वजों को विवादित भूमि का दिनांक 2.10.1959 के पूर्व से भूमि पटटे पर दी गई थी । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया	

गया है कि वर्तमान में आवेदक उक्त विवादित भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है तथा जुर्माना आदि भर रहा है जिसकी रसीदें अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत हो गये हैं तथा आवेदक द्वारा काफी परिश्रम एवं धन आदि व्यय कर उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है । अतः निगरानी ग्राह्य करने का अनुरोध किया गया है।

4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पंहुचा हूँ कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज जैसे खसरा की प्रति, पटटा की प्रति, या ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्थिति स्पष्ट हो सके कि आवेदक 70—80 साल से उक्त भूमि पर काबिज है तथा वह अनुतोष पा सके । अतः यह निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य